न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही

(पीठासीन अधिकारीः आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. धीरज कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री अम्बालाल खण्डेलवाल, जाति- खण्डेलवाल, निवासी- सरजावाव गेट, सिरोही, तहसील व जिला- सिरोही (मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता)

फर्मः- मैसर्स रॉयल शॉपिंग मार्केट, सरजावाव गेट के बाहर, सिरोही, जिला- सिरोही

2. जीवाराम परमार पुत्र श्री कानाराम परमार, निवासी- 82, जाखोडा मार्ग, सुमेरपुर (मालिक एवं खाद्यकाराबारकर्ता)

फर्मः- गणपती एजेन्सीज, मेन बाजार, सुमेरपुर, जिला- पाली

3. मोहनलाल चंदेल पुत्र श्री चुन्नीलाल चंदेल, जाति- चंदेल, निवासी- गणेश मार्ग, गांधी मूर्ति, सुमेरपुर, जिला- पाली

फर्मः- Savia Food Product, Plot No. G-90, RIICO Industrial Area (Ext.), Kesarpura, Sheoganj, Dist.-Sirohi

प्रकरण संख्याः 26/2016

''अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006''

उपस्थितिः अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, प्रतिवादी अभियुक्तगण की ओर से

-: निर्णय :- दिनांक 12 सितम्बर, 2018

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.7.2015 को समय 11.00 ए.एम. पर फर्म रॉयल शॉपिंग मार्केट, सरजावाव गेट के बाहर, सिरोही, जिला- सिरोही पर निरीक्षण हेतु पॅहुचा। वहां पर विक्रेता के रुप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति धीरज कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री अम्बालाल खण्डेलवाल, जाति- खण्डेलवाल, निवासी- सरजावाव गेट, सिरोही है एवं मैसर्स रॉयल शॉपिंग मार्केट, सरजावाव गेट के बाहर, सिरोही पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से मौजूद है जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ Mustard Oil (Salviz Brand) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ Mustard Oil (Salviz Brand) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की। दुकान की आलमारी की रैक में रखे हुए खाद्य पदार्थ Mustard Oil (Salviz Brand) की 4 पैक्ड बोतल (प्रत्येक एक लीटर) क्रय की एवं उसकी कीमत राशि रुपये 360/- नकद

.....पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

अदा कर रसीद बिल प्राप्त किया। फार्म संख्या-5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक ने अपने हस्ताक्षर किये। फार्म नंबर 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य कारोबारकर्ता से Mustard Oil (Salviz Brand) की सप्लाई के बारे में जानकारी चाही तो धीरज कुमार ने गणपित एजेन्सीज, सुमेरपुर के बिल की छाया प्रति प्रस्तुत की। मूल नमूना खरीद बिल, मूल फार्म नं.5ए, सप्लाई बिल की छाया प्रति न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल नं., दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् प्रत्येक खरीद शुदा नमूना पैक्ड बोतल पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-415 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता धीरज कुमार खण्डेलवाल ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पॅहुच कर फार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारो नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नंबर 6 की दो-दो प्रतियां दो लिफाफों में अलग अलग बन्द कर गोंद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 13.7.2015 को नमूनें का एक भाग एवं फार्म नंबर 6 का एक सील्ड लिफावा श्री नवलसिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 13.7.2015 को शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नंबर 6 का सील बन्द लिफावा अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो मूल ही संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से खाद्य पदार्थ Mustard Oil (Salviz Brand) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता धीरज कुमार खण्डेलवाल से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ Mustard Oil (Salviz Brand) का नमूना S-415 अमानक स्तर (Sub-standard) का पाया गया है। प्रकरण में अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर अभियुक्तगण द्वारा अमानक स्तर का खाद्य पदार्थ (Salviz Brand) का निर्माण एवं

....पेज तीन पर-

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(**ii**) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा अमानक स्तर (Sub-standard) खाद्य पदार्थ Mustard Oil (Salviz Brand) का निर्माण एवं विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (**ii**) का उल्लंघन किया है जो धारा-51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः अभियुक्तगण पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी अभियुक्तगण को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी अभियुक्तगण की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया।

(3) प्रकरण में बहस हेतु नियत सुनवाई तिथि 12.9.2018 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। अभियुक्तगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने बहस के दौरान लिखित जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पैकड खाद्य पदार्थ का नमूना खरीद किया था जिसको टेम्परविथ करके जांच हेतु भेजा गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूना लेने, सीलबंद करने व जांच हेतु भेजने की कार्यवाही विधिवत नही की है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने हेतु कोई पदार्थ नही डाला है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 46(4) के तहत उक्त खाद्य पदार्थ के नमूने की दुबारा जांच हेतु कोई सूचना नही दी जिसके कारण प्रतिवादीगण उक्त खाद्य पदार्थ की दुबारा जांच के अधिकार से वंचित रहे है, इसलिये आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद को खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 12.7.2015 को 11.00 ए.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स रॉयल शॉपिंग मार्केट, सरजावाव गेट के बाहर, सिरोही, जिला-सिरोही पर गये। वहां उक्त फर्म मैसर्स रॉयल शॉपिंग मार्केट, सरजावाव गेट के बाहर, सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से धीरज कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री अम्बालाल खण्डेलवाल, जाति- खण्डेलवाल, निवासी- सरजावाव गेट, सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ Mustard Oil (Salviz Brand) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म मैसर्स रॉयल शॉपिंग मार्केट, सरजावाव गेट के बाहर, सिरोही के निरीक्षण के दौरान आम जनता के

.....पेज चार पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

उपयोग हेतु विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ Mustard Oil (Salviz Brand) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री रामसिंह, वाहन चालक, कार्यालय जिला क्षय निवारण केन्द्र, सिरोही व श्री शांतिलाल पुत्र श्री चुन्नीलाल, जाति- माली, निवासी- गोयली, तह. व जिला- सिरोही के समक्ष विक्रेता/खाद्यकारोबारकर्ता धीरज कुमार खण्डेलवाल को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त दुकान की आलमारी की रेक में रखे हुये खाद्य पदार्थ Mustard Oil (Salviz Brand) की 4 पैक्ड बोतले (प्रत्येक एक लीटर) क्रय की एवं उसकी कीमत राशि रुपये 360/- (अक्षरे रुपये तीन सौ साठ मात्र) अदा कर क्रय करने की रसीद तैयार कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता धीरज कुमार खण्डेलवाल व उक्त गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं कमांक S-415, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर उक्त खाद्य कारोबारकर्ता धीरज कुमार खण्डेलवाल व उक्त गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ Mustard Oil (Salviz Brand) के चारों नमूना बोतलों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-415 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता Mustard Oil (Salviz Brand) व उक्त गवाहों के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूनों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की गई। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता धीरज कुमार खण्डेलवाल व उक्त गवाहों तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ क्रय का बिल एवं मौका फर्द आदि के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता धीरज कुमार खण्डेलवाल से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ Mustard Oil (Salviz Brand) को खाद्य पदार्थ एवं सुरक्षा अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खाद्य पदार्थ Mustard Oil (Salviz Brand) के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सीव्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक

.....पेज पांच पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 13.7.2015 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा श्री नवलसिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर-6 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 13.7.2015 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ Mustard Oil (Salviz Brand) का नमूना संख्या S-415 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./558/Act/2015/556 दिनांक 21.7.2015 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स रॉयल शॉपिंग मार्केट, सरजावाव गेट के बाहर, सिरोही पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता धीरज कुमार खण्डेलवाल से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ Mustard Oil (Salviz Brand) का नमूना अमानक स्तर (Sub-standard) पाया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि प्रकरण में खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता धीरज कुमार खण्डेलवाल को तथा प्रतिवादी संख्या-3 की फर्म Savia Food Product, Plot no.G-90, RIICO Industrial Area (xt.), Sheoganj को अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र क्रमांक:संस्था/एफएसएसए/2015/3928-29 दिनांक 29.7.2015 के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की विश्लेषण जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित कर सूचित किया गया कि अगर उक्त जांच रिपोर्ट से सन्तुष्ट नही हो तो अपील आवेदन प्रारुप-8 में इस पत्र प्राप्ति के 30 दिवस में प्रस्तुत करे, लेकिन संबंधित द्वारा अधिसूचित रेफरल लेब से नमूने की जांच कराने हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया।

प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह तथ्य भी साबित होता है कि प्रतिवादी धीरज कुमार खण्डेलवाल की फर्म मैसर्स रॉयल शॉपिंग मार्केट, सरजावाव गेट के बाहर, सिरोही ने उक्त खाद्य पदार्थ Mustard Oil (Salviz Brand) की एक-एक लीटर की पैक्ड बोतलों को बिल नम्बर 5881 दिनांक 30.5.2015 के द्वारा गणपति एजेन्सीज, मेन बाजार, सुमेरपुर से क्रय किया था जो कि प्रतिवादी संख्या-2 की फर्म है तथा प्रतिवादी संख्या-2 की फर्म गणपति एजेन्सीज, सुमेरपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ Mustard Oil (Salviz Brand) की एक-एक लीटर की पैक्ड बोतलों को निर्माता फर्म Savia Food Product, G-90, Riico Industrial Area (Ext.), Kesarpura, Sheoganj, Dist. Sirohi से वेट इनवोइस बिल नंबर 215 दिनांक 28.5.2015 के द्वारा क्रय की गई थी, जो कि प्रतिवादी संख्या-3 की फर्म है। इससे, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि निर्माता फर्म Savia Food Product, G-90, Riico Industrial Area (Ext.), Kesarpura, Sheoganj,

....पेज छः पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

Dist. Sirohi द्वारा अमानक स्तर (Sub-standard) का खाद्य Mustard Oil (Salviz Brand) का निर्माण एवं विक्रय किया गया है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 80 के तहत प्रतिवादी अभियुक्त संख्या 1 व 2 को दोषमुक्त किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 51 के तहत निर्माता फर्म Savia Food Product, G-90, Riico Industrial Area (Ext.), Kesarpura, Sheoganj, Dist. Sirohi पर राशि रुपये 15,000/- (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। निर्माता फर्म Savia Food Product, G-90, Riico Industrial Area (Ext.), Kesarpura, Sheoganj, Dist. Sirohi के प्रोपराईटर मोहनलाल चंदेल पुत्र श्री चुन्नीलाल चंदेल, जाति- चंदेल, निवासी- गणेश मार्ग, गांधी मूर्ति, सुमेरपुर, जिला- पाली को आदेशित किया जाता है कि निर्माता फर्म Savia Food Product, G-90, Riico Industrial Area (Ext.), Kesarpura, Sheoganj, Dist. Sirohi पर आरोपित उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्टेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही